


२६/१/२१

पत्रावली पेश हुई ।
अध्यापीठासीन अधिकारी महोदय
को भेजा है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा १५/१/२१ को पेश हो ।

५/२/२१

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्या
में व्यस्त है । अतः इत्यादि होकर
पत्रावली आइन्दा १०/०२/२१ को पेश हो ।


१०/०२/२१ पत्रावली का पेश हुआ अनील जाधव
उपस्थित वनील जाधव
के अभाव में पेश किया गया
जिससे पत्रावली दि १३/०२/२१ को
पेश हो



सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

१२/१०/२१


पत्रावली का पेश हुआ अनील जाधव
उपस्थित वनील जाधव
के अभाव में पेश किया गया
जिससे पत्रावली दि १०/११/२२ को पेश हो



सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

१०/०१/२२ - पत्रावली का पेश हुआ अनील जाधव
उपस्थित वनील जाधव
के अभाव में पेश किया गया
जिससे पत्रावली दि १०/०१/२२ को पेश हो





सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

11
15/6/18
श्रीमान

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O.) महोदय
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण :-

1. फूसाराम पुत्र भोमाराम उम्र 74 वर्ष
2. हंसाराम पुत्र भोमाराम उम्र 70 वर्ष
जाति भील निवासी बारासंग तहसील गुड़ामालानी
3. मोडूराम पुत्र कुष्टाराम उम्र 48 वर्ष
4. श्रीमती गवरीदेवी पत्नि कुष्टाराम उम्र 80 वर्ष
जाति भील निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला
बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. आदूराम पुत्र मानाराम उम्र 50 वर्ष
2. बाबू पुत्र मानाराम उम्र 45 वर्ष
3. मनजी पुत्र रावताराम उम्र 65 वर्ष
जाति भील निवासी भाखरपुरा
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. श्रीमान तहसीलदार, साहब गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते
पाने अस्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार है कि :-

1. कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया है जिसमें
वर्णित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण को वाद में प्रथम

check & report
30/4


29/14
15/6/18

दृष्ट्या सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। वाद पत्र की प्रति साथ पेश है।

2. कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा भाखरपुरा पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 78/1 रकबा 05.14 बीघा, खसरा नम्बर 160 रकबा 01.06 बीघा कुल रकबा 07 बीघा का आया हुआ है। वर्तमान जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।

3. कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, जिस पर वक्त सेन्टलमेंट के समय प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वजों का कब्जा काशत था तथा उनके नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वर्तमान में उनके के फौत होने पर प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ तथा प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काशत है वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 का 1/2 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा पैतृक खातेदारी का था। इसी हिस्सों के माफिक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि पर काबिज है तथा अपनी रहवासी ढाणिया, चारबाडे, पशुबाडे व टांके बने हुए हैं।

4- कि विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए नहीं होने के कारण खेत के हिस्सों व कब्जा काशत को लेकर विवाद रहता है एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से एवं उसके कब्जे काशत की भूमि में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे हैं जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ है इसलिये प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच की भूमि की भूमि समान हक व हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि का बिना विभाजन करवाये बिना बेचान करने पर आमादा है तथा इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसलिये प्रार्थीगण सम्पूर्ण खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती





श.प.
माइराम